



Neutral Citation No.- 2026:AHC:12732

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-15933 वर्ष 2025

नीरज

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: राकेश दुबे

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. श्री शशि चूड़ पांडे, अधिवक्ता श्री राकेश दुबे, आवेदक के अधिवक्ता और श्री जय किशन चौरसिया, राज्य विधि अधिकारी के बारे में बात करते हुए सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
3. यह ज़मानत आवेदन आवेदक की ओर से 2022 के मुकदमा अपराध संख्या-398, भ०द०वि० की धारा 302, 323, 504, 506 के तहत मुकदमे के लंबित रहने के दौरान थाना-बिल्हौर, ज़िला: कानपुर नगर में ज़मानत की मांग करते हुए दायर किया गया है।
4. अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, आवेदक, जो मृतक का सौतेला पिता होता है, पर मृतक पर डंडे से हमला करने का आरोप है। जब सूचनाकर्ता ने उसे रोकने का प्रयास किया, तो उसे भी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पीटा गया और कथित तौर पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया। बताया जाता है कि यह घटना 20.08.2022 को सुबह लगभग 05:00 बजे हुई।

5. आवेदक के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक निर्दोष है और प्रस्तुत मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, जैसा कि प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है। आगे यह तर्क दिया जाता है कि प्राथमिकी में एक दिन से अधिक की देरी हुई है और उक्त देरी के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है।

6. अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया है कि मृतक पांच साल का बच्चा था और आवेदक उसका पालक पिता था, इस तरह, आवेदक को मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी कहा गया है कि सूचनाकर्ता के भाई, अर्थात् प्रमोद कुमार की विवेचनाधिकारी द्वारा की गई है और कहा गया है कि उसकी बहन (सूचनाकर्ता) धीमी मानसिक क्षमता की है। इस आधार पर, यह तर्क दिया जाता है कि प्राथमिकी के साथ-साथ सूचनाकर्ता के बयान को भी ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

7. अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक 22.08.2022 से जेल में बंद है, उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

8. तत्स्य विपरीत, राज्य के विधि अधिकारी ने इस आधार पर जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया है कि आवेदक ने दो व्यक्तियों पर हमला किया - पहला, उसका पालक बेटा, जिसने आवेदक द्वारा दी गई चोटों के कारण दम तोड़ दिया, और दूसरा, उसकी पत्नी, जिसने अपने कपाल पर गंभीर चोटें आईं और सिर में फ्रैक्चर हुआ। आगे यह तर्क दिया गया है कि प्राथमिकी दर्ज करने में देरी को विधिवत समझाया गया है, क्योंकि सूचनाकर्ता को खुद चोटें आई थीं और वह अपनी स्थिति में सुधार होने के बाद ही प्राथमिकी दर्ज कर सकती थी।

9. इस न्यायालय ने मुकदमे की स्थिति के संबंध में एक रिपोर्ट मांगी थी और उसके अनुपालन में, संबंधित विचारण न्यायालय द्वारा 18.10.2025 को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। उक्त रिपोर्ट के अनुसार, आज तक केवल एक गवाह से पूछताछ की गई है।

10. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और एक अन्य आईएनएससी 909 2024 में रिपोर्ट किए गए के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो दोषसिद्धि



हो सकती है या आरोपी बरी हो सकती है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

11. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों, सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक ने अपने पांच साल के पालक बेटे को मौत के घाट उतार दिया है और यहां तक कि अपनी पत्नी को गंभीर चोटें भी पहुंचाई हैं, मुझे आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने के लिए यह उचित मामला नहीं लगता।

12. तदनुसार, ज़मानत आवेदन **खारिज** किया जाता है।

13. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले पर **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ (2017) 5 एस.सी.सी. 702** के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हालिया फैसलों में निर्धारित सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, यदि कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो शीघ्रता से निर्णय लिया जाए।

14. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 19, 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)